कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय

ब्लाक–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)
(फोन – 0771–2636413 फैक्स – 0771–2263412)
Email - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in

क. 654/78/आउशि/सू.प्र./2024 अटल नगर, दिनांक 18/06/2024

प्रति,

समस्त प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय,
छत्तीसगढ़

विषय :– **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी नियुक्त करने बाबत्।**

संदर्भ :– 1. इस कार्यालय का पत्र कं. 19/आउशि/05 दिनांक 03.10.2005।
2. छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) मंत्रालय नया रायपुर का परिपत्र कं. एफ 8–1/2013/आरटीआई/1–सूअप्र दिनांक 24.07.2013।

––00––

उपरोक्त संदर्भित पत्र कं. 1 के द्वारा सभी महाविद्यालयों में लोक सूचना प्राधिकारी की नियुक्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था, जिसके तहत वर्तमान में प्रत्येक महाविद्यालय में 01 जनसूचना अधिकारी एवं राज्य स्तर पर मात्र एक अपीलीय अधिकारी विगत अनेक वर्षो से पदनामित होकर कार्य कर रहे है। इससे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार प्रथम अपीलीय अधिकारी की आंशिक रूप से पूर्ति होते रही।

प्रदेश में महाविद्यालयों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, परिणाम स्वरूप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त होने वाले प्रथम अपील आवेदनो की संख्या में लगातार वृद्धि भी हो रही हैं जिसके कारण 01 अपीलीय अधिकारी द्वारा राज्य भर के प्रकरणों का समय–सीमा में निराकरण किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भ कं. 2 के द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 24.07.2013 की कंडिका 3 की ओर पुनः आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें उल्लेखित है – सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(ज) में निहित लोक प्राधिकारी की परिभाषा के अनुसार परीक्षण उपरांत निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है :–

1. अधिनियम की धारा 2 (ज) के भाग (घ) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या आदेश द्वारा मंत्रालयीन विभागान्तर्गत स्थापित समस्त विभागाध्यक्ष एवं उनके क्षेत्राधिकार में संभाग, जिला, तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर स्थापित विभाग के सभी कार्यालय भी ''लोक प्राधिकारी'' है।
2. अधिनियम की धारा 2 (ज) के भाग (ग) के अनुसार राज्य विधान–मंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था को भी लोक प्राधिकारी माना गया है अतः उक्त परिभाषा के अनुसार समस्त जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत भी ''लोक प्राधिकारी'' है।

REDMI NOTE 6 PRO
AI DUAL CAMERA

उपरोक्त परिपत्र एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5(1) एवं 19(1) के आलोक में उच्च शिक्षा अंतर्गत लोक प्राधिकारी कार्यालयों के संदर्भ में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें :-

(1) प्रत्येक शासकीय महाविद्यालय एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय के नियमित प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य सूचना अधिकार अधिनियम के अनुसार लोक प्राधिकारी होने के कारण सूचना के अधिकार अधिनयम 2005 में उल्लेखित लोकप्राधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करें।

(2) अधनियम की धारा 5(1) एवं धारा 19(1) अनुसार अपने कार्यालय हेतु क्रमशः उपयुक्त अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी को अपीलीय अधिकारी पदनामित करें।

(3) ऐसे प्राचार्य जिनके पास अन्य महाविद्यालयों का भी प्रभार है, सूचना अधिकारी अधिनियम के नियमों के अन्तर्गत उन महाविद्यालयों के लोक प्राधिकारी के दायित्व का निर्वहन करेंगे ।

(4) जिन नवीन महाविद्यालयों में केवल दो नियमित शिक्षक कार्यरत है, सूचना अधिकार अधिनयम 2005 अनुसार ज्येष्ठ शिक्षक को अपीलीय अधिकारी एवं कनिष्ठ शिक्षक को लोक सूचना अधिकारी पदनामित करें।

(5) जिन नवीन महाविद्यालयों में केवल एक नियमित शिक्षक कार्यरत है, सूचना अधिकार अधिनयम 2005 अनुसार उस शिक्षक को लोक सूचना अधिकारी नामित करते हुए आहरण संवितरण अधिकारी स्वयं को अपीलीय अधिकारी पदनामित करें ।

(6) जिन नवीन महावियाद्लायों में कोई भी नियमिति शिक्षक कार्यरत नहीं है उन महाविद्यालयों में सूचना अधिकार अधिनयम 2005 अनुसार वरिष्ठतम कर्मचारी को लोक सूचना अधिकारी नामित करते हुए आहरण संवितरण अधिकारी स्वयं को अपीलीय अधिकारी पदनामित करें।

(7) जिन नवीन महाविद्यालयों में कोई भी नियमिति शिक्षक एवं नियमित कर्मचारी कार्यरत नहीं है उन महाविद्यालयों में सूचना अधिकार अधिनयम 2005 अनुसार वरिष्ठतम् अतिथि व्याख्याता को लोक सूचना अधिकारी नामित करते हुए आहरण संवितरण अधिकारी स्वयं को अपीलीय अधिकारी पदनामित करें।

(8) समस्त लोक प्राधिकारी संचालनालय के लोक प्राधिकारी (आयुक्त, उच्च शिक्षा) को लोक प्राधिकारी कार्यालय में पदनामित लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी की विस्तृत जानकारी तत्काल उपलब्ध कराये ।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही करते हुए जानकारी 07 दिवस के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

(श्रीमती शारदा वर्मा)
आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर
(छ.ग.)

पृ.क्र. 655/78/आउशि/सू.प्र./2024 अटल नगर रायपुर दिनांक 18/06/2024

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर (छ.ग.)
2. अवर सचिव, छ.ग. शासन, समान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर (छ.ग.)

.... की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर
(छ.ग.)

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

5 (4)

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय,
शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर

क्र. 19 आउशि/05, रायपुर, दिनांक 3.-.10-2005

प्रति,

नस्ती प्र.01

प्राचार्य,
(समस्त अग्रणी महा विद्यालय)

विषय:- सूचना का अधिकार 2005 का क्रियान्वयन।

संदर्भित पत्र के तारतम्य में यह सूचनीय है कि 13 अक्टूबर 2005 से अधिनियम की व्यवस्थाएं लागू हो जाएगी। इस संबंध में यह आश्वस्त किया जाए कि सभी महाविद्यालयों में लोक सूचना प्राधिकारी नियुक्त किए जा चुके हैं। इसकी सूचना दी जाए।

2. कतिपय बिंदुओं पर सामग्री जैसे 4 (b) (i) (ii) और (vi) में समानुरूप होनी चाहिए। अत: इस हेतु प्रारुप सामग्री संबंधी मार्ग निर्देश संलग्न कर प्रेषित हैं। सभी महाविद्यालय अपना मैनुअल क्रियान्वयन की तिथि से पूर्व अनिवार्यत: तैयार करें।

3. अधिनियम के क्रियान्वयन, उसकी गंभीरता और महत्व को दृष्टिगत करते हुए प्रत्येक महाविद्यालय में कर्मचारियों और अधिकारियों/शिक्षकों के साथ बैठक में व्यवस्थाओं से अवगत कराया जाए।

4. संबंधित शाखा/प्रभार के कर्मचारियों तथा अधिकारियों के अभिलेख के व्यवस्थित रख-रखाव तथा धारित प्रत्येक अभिलेख (फाइल, पंजी आदि) को शामिल करते हुए सूची बनाकर प्रस्तुत करने निर्देशित किया जाए। तथा आयुक्त के आदेश को दर्ज कराया जाए।

(डॉ. ए.जे.वी. प्रसाद)
आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर

प्राचार्य, शा. महाविद्यालय, महासमुंद (छ.ग.)
पावती क्र. 765
दिनांक 5/10/05

P.T.O.

P.T.O.

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर–492002

कमांक एफ 8–1/2013/आरटीआई/1–सूअप्र, नया रायपुर, दिनांक 24/07/2013

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, छ.ग. बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
छत्तीसगढ़.

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005– लोक प्राधिकारियों की सूची तैयार कर जारी करना।

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग द्वारा राज्य शासन का ध्यान इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र क. एफ 7–6/05/1/6, दिनांक 21.11.2005 की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें बताया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–2 की परिभाषा अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में कौन--कौन लोक प्राधिकारी हैं। उक्त परिपत्र में "मंत्रालयीन विभागांतर्गत समस्त विभागाध्यक्ष" को लोक प्राधिकारी होना दर्शाया गया है, लेकिन विभागाध्यक्ष के नियंत्रणाधीन संभाग, जिला, तहसील एवं विकासखंड स्तर पर स्थापित विभाग के कार्यालयों को लोक प्राधिकारी होने का उल्लेख नहीं हुआ है। आयोग का मत है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (ज) के भाग (क), (ख), (ग) एवं (घ) में दी गई परिभाषा के अनुसार संविधान द्वारा या उसके अधीन, *अथवा* संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा *अथवा* समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा, स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था को लोक प्राधिकारी माना गया है। अतः आयोग ने इस संबंध में शासन स्तर से समुचित दिशा–निर्देश जारी करने की आवश्यकता बताई है। साथ ही आयोग ने भारत सरकार, कार्मिक तथा लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन संख्या 1/12/2007–आई.आर, दिनांक 31.7.2007 के अनुसार राज्य शासन के सभी विभागों में लोक प्राधिकारियों की विस्तृत अद्यतन सूची तैयार करने की आवश्यकता भी बताई है।

2/ भारत सरकार, कार्मिक तथा लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली ने उनके ज्ञापन कमांक 1/12/2007--आई.आर, दिनांक 31.7.2007 में सभी राज्यों को विभागों में लोक प्राधिकरणों की विस्तृत सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उक्त ज्ञापन में बताया गया है कि लोक प्राधिकरणों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है :–

(i) संवैधानिक निकाय
(ii) लाईन एजेन्सियां

क्रमशः...2..

REDMI NOTE 6 PRO
AI DUAL CAMERA

(iii) सांविधिक निकाय

(iv) सार्वजनिक क्षेत्र के उपकम

(v) कार्यकारी आदेश के अन्तर्गत सृजित निकाय

(vi) सरकार के स्वामित्व वाले, सरकार द्वारा नियंत्रित अथवा भरपूर वित्त पोषित निकाय, और

(vii) सरकार द्वारा भरपूर वित्त पोषित गैर सरकारी संगठन।

3/ इस संबंध में विभाग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (ज) में निहित लोक प्राधिकारी की परिभाषा के अनुसार परीक्षण उपरान्त निम्नानुसार **स्पष्ट किया जाता है कि** –

(1) अधिनियम की धारा 2 (ज) के भाग (घ) के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या आदेश द्वारा, मंत्रालयीन विभागान्तर्गत स्थापित समस्त **विभागाध्यक्ष एवं उनके क्षेत्राधिकार में संभाग, जिला, तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर स्थापित विभाग के सभी कार्यालय भी "लोक प्राधिकारी" हैं।**

(2) अधिनियम की धारा 2 (ज) के भाग (ग) के अनुसार, राज्य विधान–मंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था को भी लोक प्राधिकारी माना गया है अतः उक्त परिभाषा के अनुसार **समस्त जिला पंचायत, नगर पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत भी "लोक प्राधिकारी" हैं।**

4/ अतः यह निर्देशित किया जाता है कि सभी विभाग उनके अधीनस्थ आने वाले विभागाध्यक्षों के क्षेत्राधिकार में संभाग, जिला, तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर स्थापित समस्त कार्यालयों को लोक प्राधिकारी मानते हुए, उनकी विस्तृत सूची तैयार करें एवं उसे दो सप्ताह में विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराकर, पालन प्रतिवेदन इस विभाग को भेजें। विभागों द्वारा लोक प्राधिकारियों की सूची को वेबसाईट पर निरंतर अद्यतन रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

(के. आर. पिस्दा) 24/7/2013
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्रमांक एफ 8–1/2013/आरटीआई/1–सूअप्र, नया रायपुर, दिनांक 24/07/2013

प्रतिलिपिः–

1. माननीय राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर।
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर।
3. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मंत्रालय, नया रायपुर।

क्रमशः....3..

REDMI NOTE 6 PRO
AI DUAL CAMERA

4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
5. समस्त निज सचिव/निज सहायक, माननीय मुख्यमंत्रीजी/मंत्रीगण/संसदीय सचिवगण, मंत्रालय, नया रायपुर।
6. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.) की ओर पत्र कमांक 335/नि.स./मु.सू.आयु./2013, दिनांक 28.02.2013 एवं अर्द्ध शास. पत्र कमांक 1016, दिनांक 21.5.2013 के संदर्भ में।
7. सचिव, राज्य योजना आयोग/राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग/राज्य मानव अधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/राज्य महिला आयोग/राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग/राज्य अनुसूचित जाति आयोग/राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग/राज्य अल्पसंख्यक आयोग/राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग/लोक आयोग/लोक सेवा आयोग/राज्य विद्युत नियामक आयोग/राज्य युवा आयोग/छत्तीसगढ़, रायपुर।
7. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर।
8. उप सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय, उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर।
9. संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, रायपुर।
10. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली।
11. अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
12. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव, 24/7/2013
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

REDMI NOTE 6 PRO
AI DUAL CAMERA